



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230069
CG-DL-E-01102021-230069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3700]
No. 3700]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

का.आ. 4034(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1379 (अ), तारीख 26 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में, तारीख 26 मार्च, 2021 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 के सामने कॉलम (2) में, प्रविष्ट "उपजिलाधिकारी, नूजिवीडु" के स्थान पर प्रविष्ट "रेवेन्यू डिविजनल आफीसर/उप-कलक्टर/असिस्टेंट कलक्टर, नूजिवीडु" प्रतिस्थापित की जाएगी।

पाद टिपणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) , तारीख 26 मार्च, 2021 में का.आ. 1379 (अ), तारीख 26 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन

CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन

CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन

CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन

CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन
 CALA नाम और नामकरण में परिवर्तन

[फा. सं. NHAI /Tech/AP/NH-16/V-G/Vij Airport/2020/ Corrigendum]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th September, 2021

S.O. 4034(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1379 (E), dated the 26th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th March, 2021, namely :-

In the schedule to the said notification, against serial number 2, under column (2), for the entry, "Sub Collector, Nuzvid", the entry "Revenue Divisional Officer/Sub-Collector/Assistant Collector, Nuzvid" shall be substituted.

Foot Note : The Principal Notification was published vide S.O. 1379 (E) dated the 26th March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th March, 2021.

Change in CALA name & nomenclature
 Change in CALA name & nomenclature
 Change in CALA name & nomenclature
 Change in CALA name & nomenclature
 Change in CALA name & nomenclature
 Change in CALA name & nomenclature

[F. No. NHAI/Tech/AP/NH-16/V-G/Vij Airport/2020/Corrigendum]

RAJESH GUPTA, Director